जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा

–: आदेश :–

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक –190573, दिनांक– 02.07.2014 एवं सचिव ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक– 191355, दिनांक– 09.07.2014 के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति आवेदनों का COTS (CLAM AND OBJECTION TRACKING SYSTEM) SOFTWARE में हर हाल में इन्ट्री दिनांक 31. 07.2014 तक किया जाना है। इस कार्य हेतु प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला के अन्य कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायक /कम्पयूटर ऑपरेटर को लगाया जाना है। इस के लिए जिला मध्याह्न भोजन के नीचे डी0आर0डी0ए0 परिसर में स्थित हॉल को डाटा सेंटर बनाया गया है, जहॉ दो पालियों में कार्य करने हेतु कार्यपालक सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति अंश (क) में अंकित विवरणी के अनुरूप की जाती है :–

1. सभी कार्यपालक सहायक/ ऑपरेटरों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने–अपने पाली के समय के अनुरुप निर्धारित समय पर उपस्थित होगें तथा उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति अंकित करेगें। विलम्ब से आने वाले को उस दिन के लिए अनुपस्थित समझा जायेगा तथा उस दिन का मानदेय भुगतान नहीं दिया जायेगा।
2. वे कार्य संपादन के उपरान्त निर्धारित समय पर ही अपना स्थान छोड़गें।
3. सभी कार्यपालक सहायक कम्प्युटर ऑपरेटर अपने पाली में न्युनतम 200 दावा/ आपत्ति आवदनों एवं उसके निष्पादन की प्रवृष्टि करेगें। प्रत्येक पाली में समय समाप्त होने के उपरांत उनके द्वारा प्रविष्ट किये गये आवेदनों की संख्या का ब्यौरा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को दर्ज करा कर ही अपना स्थान छोड़गें।
4. प्रथम पाली के लिए नास्ता, चाय एवं द्वितीय पाली के लिए चाय बिस्कुट की व्यवस्था डी0आर0डी0ए0 मधेपुरा द्वारा की जायेगी।

चार्ज पदाधिकारी/ आर0डी0ओ0/ प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को आदेश

दावा आपत्ति आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु चार्ज पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे अपने– अपने इन्दिरा आवास के लिए नवनियुक्त पर्यवेक्षक, लेखापाल, इन्दिरा आवास सहायक एवं अन्य कर्मियों की सहायता से तीन दिनों के अन्दर सभी दावा आपत्ति आवेदनों का निष्पादन कर ई0बी0वार0 आवदेनों की बंडलिग करवा कर COTS SOFTWARE में इन्ट्री हेतु डी0आर0डी0ए0 मधेपुरा भेजना सुनिश्चित करेगें। दावा आपत्ति आवेदनों निष्पादन हेतु जिले के ग्रामीण विकास पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित प्रखंडों में की जाती है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे ससमय सभी दावा आपत्ति आवेदनों का निष्पादन करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी को सहयोग करेगें।

क्र0	ग्रामीण विकास पदाधिकारी का नाम	आवंटित प्रखंड
1	श्री अजित कुमार,	कुमारखण्ड
2	श्री अनुरंजन कुमार	बिहारीगंज
3	श्री कुन्दन कुमार	उदाकिशुनगंज
4	श्री राजकुमार चौधरी	मधेपुरा

5	श्री मुकेश कुमार रजक	मुरलीगंज

सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपने- अपने आवंटित प्रखंडों के दावा आपत्ति आवेदनों का निष्पादन अपने पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करेगें।

सभी संबंधितों को यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु कोई राजपत्रित अथवा रविवारीय अवकाश मान्य नहीं है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनुलग्नक – अंश क में अंकित विवरणी

16.7.2014
उप विकास आयुक्त
मधेपुरा।
16-7-14

17.07.14

जिलाधिकारी
–सह–
मुख्य एस0ई0सी0सी0 पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1234/मधेपुरा,दिनांक 17.07.2014 ई0/

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, मधेपुरा अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा / उदाकिशुनगंज/ सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी/ सभी चार्ज पदाधिकारी / सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी एस0ई0सी0सी0/ सभी अंचलाधिकारी/ सिविल सर्जन, मधेपुरा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला सभी प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक/ कम्प्यूटर ऑपरेटर/ जिला समन्वयक ई0सी0आई0एल0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.7.2014
उप विकास आयुक्त
मधेपुरा।
16-7-14

17.07.14

जिलाधिकारी
–सह–
मुख्य एस0ई0सी0सी0 पदाधिकारी,
मधेपुरा।